

न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 173/24

- वादी :-
1- रतनाराम पुत्र घेवरराम जाति जाट
निवासी केरिया माकड़ा तहसील रियांबड़ी जिला नागौर
- प्रतिवादीगण :-
1- गणपतराम पुत्र घेवरराम
2- सुगनाराम पुत्र घेवरराम
3- शारदादेवी पुत्री घेवरराम
4- रामाकिशन पुत्र दुर्गाराम
सभी जातियान जाट निवासीगण केरिया माकड़ा तहसील रियांबड़ी
5- तहसीलदार रियांबड़ी
6- पटवारी हल्का पादूखुर्द तहसील रियांबड़ी जिला नागौर।

दावा बाबत बंटवाड़ा व खातेदारी घोषणा अंतर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :- 8/7/24

वादी की ओर से निम्नलिखित वाद पेश कर निवेदन है कि :-

- 1- यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 सभी हिन्दु हैं तथा हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा से गर्वन होते हैं। सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। सभी स्व. घेवरराम जी वारिसान हैं। प्रतिवादी संख्या 4 सह खातेदार हैं।
- 2- यह है कि मौजा पादूखुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 839 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 840 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नंबर 842 रकबा 1.2600 हैक्टर की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी की तथा मौजा पादूखुर्द के खसरा नंबर 841/942 रकबा 0.6400 हैक्टर, खसरा नंबर 841 रकबा 1.1900 हैक्टर, खसरा नंबर 2012/841 रकबा 0.4900 हैक्टर तथा मौजा केरिया माकड़ा के खसरा नंबर 456 रकबा 0.7900 हैक्टर, खसरा नंबर 51 रकबा 0.3300 हैक्टर की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। उक्त खसरान की भूमि आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से सम्बोधित की गई है।
- 3- यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि पूर्व में वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। जिनके स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की पैतृक भूमि है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादी को जन्म से ही अधिकार प्राप्त है।
- 4- यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने वादग्रस्त खसरान का मौके पर सहूलियत के अनुसार जुबानी बंटवाड़ा आज से काफी समय पूर्व कर लिया है। जिसका नजरी नक्शा परिशिष्ट-क साथ में पेश है। जो दावा का भाग है। बंटवाड़ा निम्न प्रकार से है :-
वादी रतनाराम के बंट में :-
मौजा केरिया माकड़ा की सरहद में खेत खसरा नंबर 456 रकबा 0.79 हैक्टर में से रकबा 0.2633 हैक्टर, खसरा नंबर 51 रकबा 0.33 हैक्टर में से रकबा 0.11 हैक्टर व मौजा पादूखुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 842 रकबा 1.26 हैक्टर में से रकबा 0.49 हैक्टर नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार बंट में रखा गया है।
प्रतिवादी संख्या 1 गणपतराम के बंट में :-
मौजा केरिया माकड़ा की सरहद में खेत खसरा नंबर 456 रकबा 0.79 हैक्टर में से रकबा 0.2633 हैक्टर, खसरा नंबर 51 रकबा 0.33 हैक्टर में से रकबा 0.11 हैक्टर व मौजा पादूखुर्द की

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला-नागौर

में संयुक्त रूप से दर्ज है। जिसका आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाना चाहते हैं। भूमि पैतृक है। पक्षकारान ने राजीनामा भी पेश कर दिया गया है। अतः पक्षकारान के बीच जरिये राजीनामा एवं नजरी नक्शो के अनुसार बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर खातेदारी की घोषणा इस प्रकार की जाती है :-

प्रतिवादी रतनाराम के बंट में :-

मौजा केरिया माकड़ा की सरहद में खेत खसरा नंबर 456 रकबा 0.79 हेक्टर में से रकबा 0.2633 हेक्टर, खसरा नंबर 51 रकबा 0.33 हेक्टर में से रकबा 0.11 हेक्टर व मौजा पादुखुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 842 रकबा 1.26 हेक्टर में से रकबा 0.49 हेक्टर नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार बंट में रखा गया है।

प्रतिवादी संख्या 1 गणपतराम के बंट में :-

मौजा केरिया माकड़ा की सरहद में खेत खसरा नंबर 456 रकबा 0.79 हेक्टर में से रकबा 0.2633 हेक्टर, खसरा नंबर 51 रकबा 0.33 हेक्टर में से रकबा 0.11 हेक्टर व मौजा पादुखुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 841/942 रकबा 0.64 हेक्टर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 841 रकबा 1.1900 हेक्टर में से रकबा 0.52 हेक्टर व खसरा नंबर 842 रकबा 1.26 हेक्टर में से रकबा 0.04 हेक्टर नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार बंट में रखा गया है।

प्रतिवादी संख्या 2 सुगनाराम के बंट में :-

मौजा केरिया माकड़ा की सरहद में खेत खसरा नंबर 456 रकबा 0.79 हेक्टर में से रकबा 0.2634 हेक्टर, खसरा नंबर 51 रकबा 0.33 हेक्टर में से रकबा 0.11 हेक्टर व मौजा पादुखुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 2012/841 रकबा 0.49 हेक्टर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 841 रकबा 1.1900 हेक्टर में से रकबा 0.62 हेक्टर व खसरा नंबर 842 रकबा 1.26 हेक्टर में से रकबा 0.09 हेक्टर नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार बंट में रखा गया है।

प्रतिवादी संख्या 4 रामाकिशन के बंट में :-

मौजा पादुखुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 842 रकबा 1.26 हेक्टर में से रकबा 0.63 हेक्टर नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार।


वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, व 4 के संयुक्त बंट में :-

मौजा पादुखुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 840 रकबा 0.04 हेक्टर गै.मु.सड़ा, व खसरा नंबर 839 रकबा 0.0100 हेक्टर गै.मु.बेरा में प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा रहेगा। व खसरा नंबर 841 रकबा 1.19 हेक्टर में से 0.05 हेक्टर व खसरा नंबर 842 रकबा 1.26 हेक्टर में से 0.01 हेक्टर रास्ता हेतू वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 के बंट में रहेगा।

प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना हिस्सा अपने भाईयो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हक में छोड़ दिया है। तथा घेवरराम पुत्र प्रभूराम का देहान्त हो गया है जिनके उत्तराधिकारीगण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ही है। जिससे घेवरराम का नाम हटाया जाता है।

तहसीलदार रियांबड़ी संलग्न नजरी नक्शो के अनुसार बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर राजस्व रेकार्ड में सेपरेट पजेशन का अमल दरामद किया जावे तथा लगान अलग से कायम किया जावे। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8/7/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुरेशकुमार)

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी